



Date: 26-06-17

Clean the cities

From Delhi to Kochi, the garbage problem has risen to dangerous levels

TOI Editorials



The urban development ministry has announced the inclusion of another 30 cities in the smart city mission set up two years back, taking the total number of such cities to 90. With the total investments approved for all smart cities having now risen to Rs 1,91,155 crore, the urban development minister has also claimed that almost 50% of all projects under this mission are already under implementation and would be completed by 2019-20. But facts visible to the naked eye belie tall claims.

Most of the investments have to be raised by local and state governments from their own funds and borrowings. This will be difficult given the perilous condition of state finances and

the poor resource mobilsation and governance capacity of urban local bodies. Yet, even as the process of smartening our cities moves at snail's pace the urgency for it is evident all around, not least in the garbage heaps that are rising at breakneck pace.

Looking at the accumulation of solid waste in various parts of the capital for example, the Delhi high court has observed that there seems to be more garbage than land for people in the capital. Importantly, the court has also noted that the problem is not so much the lack of funds as the absence of will among the corporations to do their work. In Kerala many urban centres are facing a sanitation crisis, with putrefying waste in public places being linked to diseases as in Delhi. Over in Bengaluru the waste management crisis regularly manifests itself these days in the foaming, burning Bellandur lake. The underperformance of city corporations is inexcusable. Whenever the smart cities rise there must not be any more delay in delivering clean cities.



THE ECONOMIC TIMES

Date: 26-06-17

Farm loan waivers disrupt the fiscal discipline

ET Editorials



The Met forecasts a good monsoon this year, and the progress of the southwest monsoon so far has been good. If the rain god's bounty is uncertain, that of the political gods now seems more predictable. After the Bharatiya Janata Party (BJP) won Uttar Pradesh with a promise to waive farm loans, Maharashtra, Punjab and Karnataka have announced farm loan waivers, the government of Maharashtra being at pains to point out that it is the biggest loan waiver ever.

This competitive spirit is likely to spread to other states as well, aided by the moves afoot to restructure non-performing corporate debt, which many compare with farm loan waivers.

India could witness farm loan waivers well in excess of Rs1 lakh crore. That would add to the states' fiscal deficit and raise the combined public sector borrowing, setting off alarm about the country's fiscal discipline. The Centre has stuck to the path of fiscal rectitude hitherto. The states have not, and they account for nearly 60% of the combined expenditure of the Centre and the states. Their borrowings have been rising at a rate close to 30% since 2013, according to a study by HSBC. Their fiscal deficit for 2016-17 was 2.8% of GDP. This is likely to go up further this year, apart from farm loan waivers. Stamp duty is stagnant and oil prices do not offer much scope for buoyancy.

The Uday bonds, reflecting the wages of past sin in the power sector, have to be serviced. The first quarter growth has been impacted by demonetisation and the impact of GST on production and revenue for the states' own revenue is unpredictable, although the Centre is duty-bound to compensate the states for any loss. A combined farm loan waiver of Rs1.25 lakh crore would raise about 0.75% of the likely 2017-18 GDP to the states' fiscal deficit.

The higher borrowings to finance loan waivers would shrink room to fund public investment, affecting growth. Winning elections is important for politicians. At any cost is their motto. Only an informed public discourse that sees through the trade-offs politicians make can act as a restraint.





Date: 26-06-17

केंद्र सरकार देश को दो टाइम जोन में बांटने पर विचार कर रही है। जानिए आखिर कहां से और क्यों उठी है यह मांग तथा क्या होंगे इसके नफा-नकसान।

ऐ सा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से उठ रही मांग को देखते हुए किया जा रहा है। मांग उठाने वाले इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। ऐसा इसलिए कि कई हिस्सों में सर्योदय देश के कुछ हिस्सों से डेढ से तकरीबन दो घंटे पहले हो जाता है और अंधेरा भी इतनी ही जल्दी। मगर इनकी दिनचर्या देश के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ही चल रही है। इससे लोगों की क्षमताएं प्रभावित हो रही हैं और बिजली की खपत भी बढी है।

इसलिए उठी मांग

पूर्वोत्तर के लोगों की इस मांग को समझने के लिए स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली जियोग्राफी के उन पाठ को याद करना जरूरी है, जिनमें अक्षांश और देशांतर का जिक्र था। देशांतर वे खड़ी रेखाएं हैं, जो धरती को 360 हिस्सों (डिग्री) में बांटती हैं। अगर हम र, जा पर्ता को 500 हिस्सा (1997) न जाटता हो जगर हन एक रेखा से दूसरी तक पहुंचे तो सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच चार मिनट का अंतर आ जाता है। ऐसे में 15 डिग्री शिफ्ट होने मतलब करीब एक घंटे का अंतर है।



• देशांतर रेखा के अनुसार देश के सबसे पूर्वी हिस्से अरुणाचल प्रदेश के किबिथू तथा सबसे पश्चिमी हिस्से गुजरात के गुगरिया के बीच तकरीबन 30 डिग्री का अंतर है। ऐसे में इन दोनों हिस्सों के बीच सवेरा होने और दिन ढलने में 116 मिनट तकरीबन 2 घंटे का अंतर आ जाता है।

ये होंगे फायदे

विशेषज्ञों का मानना है कि इन हिस्सों को दो अलग-अलग टाइम जोन में बांटने से पूर्वी हिस्से के लोग दिन के उजाले का ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। वर्तमान में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनसार जब इनकी दिनचर्या शुरू होती है, आधा दिन बीत चुका होता है। ऐसे में सरकारी विभागों के लोगों के रोजमर्रा के तथा नौकरी या व्यापार से जुड़े काम सूर्यास्त के बाद भी जारी रहते हैं। जाहिर है इससे इनके कामों और क्षमताओं पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से जल्दी अंधेरा हो जाने के कारण पर्वोत्तर के लोगों को घरों. सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में बिजली का अतिरिक्त इस्तेमाल करना पडता है।

- 2006 में योजना आयोग की एक रिपोर्ट भी कह चुकी है कि देश में अलग-अलग टाइम जोन से कार्यक्षमता बढ़ेगी।
- इसके अलावा बेंगलुरु आधारित नेशनल इंस्टीटयट ऑफ एडवांस स्टडीज ने दावा किया है कि इससे सालाना 2 लाख करोड़ वॉटआवर बिजली बचाई जा सकती है।

इन दिक्कतों की भी आशंका

कुछ जानकार देश को टाइम जोन के लिहाज से दो हिस्सों में बांटने का विरोध भी कर रहे हैं। इनका तर्क है कि इससे सघन आबादी वाले इस देश के विभिन्न हिस्सों में तालमेल की कमी सामने आएगी। इतना ही नहीं, यह रेलवे, एयरलाइंस व राष्ट्रीय स्तर के व्यापार के लिए भी चनौती पेश करेगा।



ये रोचक तथ्य भी जानें

2012 04 टाइम जोन में बंटा है, एक

में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ब्लॉग लिखा था कि पूर्वोत्तर के युवाओं को दिन का उजाला रहते प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए वहां से आने वाले क्रिकेटर्स की संख्या कम है।

समय एक समान

पहले तो तीन जोन में बंटा था देश

से दूसरे सिरे तक 4300 किसी में फैला अमेरिका।

पूर्वोत्तर से उठी यह मांग कुछ लोगों को अजीब भी लग सकती है, लेकिन देश को दो टाइम जोन में बांटा गया तो यह पहली बार नहीं होगा। ब्रिटिश शासन के समय तो देश दो नहीं बलिक तीन अलग-अलग जोन में बंटा हुआ था। इनके नाम बॉम्बे टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन तथा बागान टाइम जोन थे। तीसरा वाला जोन वर्तमान भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से एक घंटा पहले शुरू और खत्म होता था। असल में यह असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिहाज से था। इससे ये सर्य का प्रकाश रहते ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते थे और इनकी उत्पादक क्षमता ज्यादा थी।

1947 में आजादी के बाद भारत सरकार ने परे देश में आधिकारिक समय के रूप में 'इंडियन स्टैंडर्ड टाइम' लागू कर दिया। हालांकि कोलकाता तथा मुंबई क्रमशः 1948 तथा 1955 तक पुराने टाइम जोन को ही मानते रहे। इसके बाद सटीक समय का पता लगाने वाली सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी को भी चेन्नई से इलाहबाद जिले के शंकरगढ किले में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए कि ऑब्जर्वेटरी के समय और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी) के बीच ठीक साहे पांच घंटे का अंतर रहे। मसलन हमारे टाइम जोन की घड़ियां यूटीसी से इतने ही अंतर से आगे चल रही है।

आजादी के बाद सबका

टाडम लाडन कब-कब उठी मांग

में केंद्र सरकार ने विभिन्न टाइम जोन के 200 नफा-नुकसान का अध्ययन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन चार लोगों की एक समिति बनाई थी। हालांकि मंत्रालय के प्रमुख कपिल . सिब्बल ने देशभर में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम ही लागू रखने की सलाह दी।


में मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की घड़ियों को 2007 में मंत्रालय ने पूर्वोत्तर की घड़ियों को देश के बाकी हिस्सों से एक घंटा आगे करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। तर्क था कि ऐसा करने से प्रशासनिक कार्यों में कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी।

मार्च में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नया टाइम 2017 मार्च में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नया टाइम जोन लागू करने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील् की थी कि वह केंद्र को इसके लिए आदेशित करे। इसे अग जा कि केंद्र आई की इसके लिए जावरेल करा बस अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि देश में एक समय टाइम् जोन रहे या नहीं, यह तय करने का हक सरकार को है।

क्या है टाइम जोन?

यह ऐसा क्षेत्र होता है, जहां एक ही स्टैंडर्ड टाइम का पालन किया जा रहा हो। यानी परे क्षेत्र की घडि़यां एक बार में एक ही समय बताती हों।

यटीसी से कैसे है अलग



दुनियाभर के टाइम जोन्स का समय असल में कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से ही नियंत्रित होता है। किसी टाइम जोन की घडियां इस समय से आगे होंगी या पीछे, यह उस जोन की देशांतर रेखा की प्रधान मध्याहन रेखा से दूरी पर निर्भर है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है (यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है।) अगर कोई टाइम जोन पश्चिम की ओर 15 डिग्री देशांतर पर है तो वहां का समय लंदन से एक घंटा पीछे होगा। वहीं पूर्व में इतना ही दूर है तो वहां की घड़ियां एक घंटा आगे चलेंगी।

। कंटेंट : सनीघ लाखन